न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 62/2020 (2019/00272)

1. छाऊ पत्नि श्योजी
2. माया पुत्री श्योजी
   तमाम जाति कुमावत निवासीगण ग्राम तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:: निर्णय ::-

दिनांक 15.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प सलारी में पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम तसवारिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
290-284	1075/1993	0.09	बारानी 1
	1076	0.04	बारानी 1
	1077	0.25	बारानी सोयम
	1078	0.23	बारानी 1
	1088	0.14	बारानी सोयम
	1089	0.06	बारानी सोयम
	1092	0.04	बारानी 1
	1093	0.01	बारानी 1
	1094	0.10	बारानी 1
	1096	0.06	बारानी 1
	1097	0.45	बारानी सोयम
	1212	0.10	बारानी 1
	1213	0.04	बारानी 1
	किता 13	रकबा 1.61 हैक्टर	

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थीगण की जाति कुमावत है, परन्तु राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने सहवन से कुम्हार दर्ज कर रखा है एवं नामान्तकरण संख्या 820

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 21.07.2014 विरासत में प्रार्थीगण की जाति राजस्व अधिकारियों ने सहवन से कौम कहार दर्ज कर दिया है जो कतई गलत है। प्रार्थीगण की कौम कुमावत है। दोनो नामान्तकरण को निरस्त कर प्रार्थीगण की कौम कुमावत दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। श्रीमान तहसीलदार केकड़ी एवं राजस्व अधिकारियों को मौखिक रूप से निवेदन करने पर दिनांक 18.07.2017 तक कोई कार्यवाही नही की गई जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की गलती एवं सहवन से अंकित कौम कुम्हार व नामान्तकरण संख्या 820 से दर्ज कौम कहार के स्थान पर कुमावत अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सलारी में उपस्थित अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब सरकार पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम तसवारिया जमाबंदी संवत 2071–74 स्थाई खाता संख्या 90 किता 13 रकबा 1.61 छाऊ पत्नि श्योजी हि0 1/2, माया पुत्री श्योजी हि0 1/2 जाति प्रजापत कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड संख्या 376429075712 व 746827244700 में क्रमश छाऊ पत्नि श्योजी कुमावत व माया पुत्री श्योजी कुमावत अंकित है एवं ग्राम पंचायत सरपंच प्रमाण पत्र के अनुसार छाऊ पत्नि श्योजी व माया पुत्री श्योजी की जाति कुमावत है। अतः आधार कार्ड, ग्राम पंचायत सरपंच प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम तसवारिया जमाबंदी संवत 2071–74 स्थाई खाता संख्या 90 किता 13 रकबा 1.61 छाऊ पत्नि श्योजी व माया पुत्री श्योजी की जाति कुमावत दुरूस्त किया जाना तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार में उचित बताया गया है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पेरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/जवाब प्रार्थनापत्र, सरपंच ग्राम पंचायत सलारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम तसवारिया तहसील केकड़ी की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 90 में दर्ज खसरा नम्बर किता 13 कुल रकबा 1.61 हैक्टर पर प्रार्थीगण छाऊ पत्नि श्योजी व माया पुत्री श्योजी की जाति कुम्हार के स्थान पर कुमावत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प सलारी में गजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner